राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

डी.बी. विशेष आवेदन रिट संख्या 973/2023

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।

3. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।

4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चूरू।

5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर

----अपीलकर्ता

बनाम

तारा चंद पुत्र श्री शिवदेव राम, उम्र लगभग 58 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 31, हरिजन बस्ती, चूरू (राजस्थान)।----प्रतिवादी

अपीलकर्ता(ओं) के लिए: श्री ए.एस. शेखावत

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री शंभू सिंह राठौर

माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय न्यायमूर्ति मुन्नूरी लक्ष्मण

<u>रिपोर्ट योग्य</u>

08/05/2024

आई.ए. संख्या 1/2023

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनने के पश्चात, हम विलंब को क्षमा करने के लिए इच्छुक हैं, क्योंकि अपील में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2009 (जिसे इसके पश्चात 27.02.2009 की अधिसूचना द्वारा प्रख्यापित 'संशोधन 2009' कहा जाएगा) के अंतर्गत नियमितीकरण के उनके दावे के संबंध में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के मामलों पर विचार करने के मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है।

तदनुसार, आवेदन स्वीकार किया जाता है और अपील दायर करने में देरी को माफ किया जाता है।

डी.बी. विशेष आवेदन रिट संख्या 973/2023

1. विद्वान राज्य अधिवक्ता ने हमारे समक्ष जोरदार ढंग से तर्क दिया कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश कानून की दृष्टि से अस्थिर है, सबसे पहले, क्योंकि विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी की सेवाओं को नियमित करने के निर्देश देते हुए सचिव, कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमा देवी एवं अन्य (2006) 4 एससीसी 1 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में निर्धारित सिद्धांत को सही ढंग से लागू नहीं किया है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता का दूसरा तर्क यह है कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम, 1999 (संक्षेप में 'नियम 1999') को दिनांक 27.02.2009 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया था तथा विद्यमान नियम 6 में संशोधन किया गया था, जिसमें सेवा में

नियमितीकरण के लिए पात्र दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों पर विचार करने का प्रावधान था। नियम 6 में संशोधन, जैसा कि इसके उपनियम (4) में प्रावधान है, यह दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति जो किसी विधिवत स्वीकृत पद पर अनियमित रूप से नियुक्त हुए थे तथा जिन्होंने दिनांक 10.04.2006 को किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के हस्तक्षेप के बिना 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी तथा दिनांक 27.02.2009 की अधिसूचना द्वारा किए गए संशोधन के प्रारंभ होने की तिथि को लगातार उसी पद पर कार्यरत थे, वे ही विधिवत गठित समिति द्वारा नियमितीकरण के लिए विचार किए जाने के हकदार थे। प्रतिवादी की नियुक्ति वर्ष 1980 में हुई थी, तथापि, बाद में, वर्ष 1982 में उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। यद्यपि उसके पक्ष में 09.06.2005 को आदेश पारित किया गया था, लेकिन निर्विवाद रूप से उसे 09.06.2006 को ही बहाल किया गया था। इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि रिट याचिकाकर्ता को 10.04.2006 तक 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस दिन वह सेवा में भी नहीं था। इस प्रकार, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा कानूनी स्थिति को सही ढंग से नहीं समझा गया और विवादित आदेश पारित किया गया, जो हस्तक्षेप का हकदार है। विद्वान राज्य अधिवक्ता का तीसरा और अंतिम तर्क यह है कि बहाली न्यायिक आदेश के तहत की गई थी, इसलिए, भले ही इसे सेवा में जारी रखने का मामला माना जाए, यह केवल न्यायिक हस्तक्षेप पर आधारित है और न्यायिक आदेश के बिना सेवा में जारी रखने का मामला नहीं है, इसलिए, इस कारण से भी, प्रतिवादी द्वारा नियमितीकरण का दावा खारिज किया जाना चाहिए।

2. इसके विपरीत, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने पक्ष में पारित विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश का बचाव करते हुए प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी को न्यायिक आदेश के तहत सेवा में बहाल किया गया था, इसलिए

विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, खासकर तब जब इसी तरह की स्थिति वाले कई अन्य व्यक्तियों को न केवल सेवा में जारी रखा गया बल्कि उन्हें नियमित भी किया गया।

3. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित विवादित आदेश और संबंधित पक्षों की दलीलों और दस्तावेजों का भी अध्ययन किया है।

4. निस्संदेह प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ता की नियुक्ति वर्ष 1980 में हुई थी, लेकिन बाद में उसे 26.05.1982 को सेवा से हटा दिया गया। यह भी विवाद में नहीं है कि संदर्भ दिए जाने पर श्रम न्यायालय द्वारा 09.06.2005 को एक पुरस्कार पारित किया गया था। अपीलकर्ता का यह मामला नहीं है कि पुरस्कार को उच्च न्यायालय में सफलतापूर्वक चुनौती दी गई थी। इसलिए, हमें इस तथ्यात्मक स्थिति पर आगे बढ़ना होगा कि पुरस्कार प्रतिवादी के पक्ष में दिया गया था। यह भी विवादित नहीं है कि पुरस्कार के निष्पादन में प्रतिवादी को 09.06.2006 को सेवा में बहाल कर दिया गया था।

5. उपर्युक्त स्वीकृत तथ्यात्मक स्थिति की पृष्ठभूमि में, यह देखा जाना आवश्यक है कि क्या प्रतिवादी 2009 के संशोधन द्वारा संशोधित 1999 के नियम के उप-नियम (4) में निहित प्रावधानों के अनुसार नियमितीकरण के लिए विचार किए जाने के योग्य है।

6. उमा देवी (सुप्रा) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हालांकि माना कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना पिछले दरवाजे से अवैध रूप से नियुक्त किए गए लोगों का नियमितीकरण कानून में अस्वीकार्य है, उक्त आदेश के पैरा 53 और 54 में, केवल एक बार के उपाय के रूप में, स्वीकृत

पदों के विरुद्ध अनियमित रूप से नियुक्त व्यक्तियों के नियमितीकरण की अनुमति देने के लिए निम्नलिखित टिप्पणियां की गईं:

> "53. एक पहलू को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। ऐसे मामले हो सकते हैं, जहाँ अनियमित नियुक्तियाँ (अवैध नियुक्तियाँ नहीं) जैसा कि एस.वी. नारायणप्पा [(1967) 1 एस.सी.आर. 128: ए.आई.आर. 1967 एस.सी. 1071], आर.एन. नंजुंदप्पा [(1972) 1 एस.सी.सी. 409: (1972) 2 एस.सी.आर. 799] और बी.एन. नागराजन [(1979) 4 एस.सी.सी. 507: 1980 एस.सी.सी. (एल.एंड.एस.) 4: (1979) 3 एस.सी.आर. 937] में स्पष्ट किया गया है और जिसका उल्लेख ऊपर पैरा 15 में किया गया है, विधिवत स्वीकृत रिक्त पदों पर विधिवत योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की गई हो और कर्मचारी न्यायालयों या न्यायाधिकरणों के आदेशों के हस्तक्षेप के बिना दस वर्ष या उससे अधिक समय तक काम करते रहे हों। ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण का प्रश्न विचारणीय हो सकता है। ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण के प्रश्न पर उपरोक्त मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों तथा इस निर्णय के आलोक में गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। उस संदर्भ में, भारत संघ, राज्य सरकारों तथा उनकी संस्थाओं को ऐसे अनियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों की सेवाओं को एक बारगी उपाय के रूप में नियमित करने के लिए कदम उठाने चाहिए, जिन्होंने विधिवत स्वीकृत पदों पर दस वर्ष या उससे अधिक समय तक कार्य किया है, लेकिन न्यायालयों या न्यायाधिकरणों के आदेशों के तहत नहीं तथा यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उन रिक्त

स्वीकृत पदों को भरने के लिए नियमित भर्ती की जाए, जिन्हें भरे जाने की आवश्यकता है, ऐसे मामलों में जहां अस्थायी कर्मचारी या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कार्यरत हैं। इस तिथि से छह महीने के भीतर प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई नियमितीकरण पहले से किया गया है, लेकिन विचाराधीन नहीं है, तो उसे इस निर्णय के आधार पर फिर से खोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संवैधानिक आवश्यकता को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए तथा संवैधानिक योजना के अनुसार विधिवत नियुक्त नहीं किए गए लोगों को नियमित या स्थायी नहीं किया जाना चाहिए।

54. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जो निर्णय इस निर्णय में निर्धारित सिद्धांत के विपरीत हैं, या जो दिशाएँ हमारे द्वारा यहाँ निर्धारित की गई बातों के विपरीत हैं, वे मिसाल के रूप में अपनी स्थिति से वंचित हो जाएँगे।"

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के मद्देनजर, नियमितीकरण केवल उन लोगों के लिए एक बार के उपाय के रूप में अनुमेय होगा, जिन्होंने न्यायालय के निर्णय की तिथि तक 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। हालांकि, एक चेतावनी भी जोड़ी गई है कि 10 वर्ष की निरंतर सेवा की गणना के उद्देश्य से, न्यायिक आदेश के आधार पर निरंतरता की गणना नहीं की जाएगी।

8. उमा देवी (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर एक बार के उपाय के रूप में नियमितीकरण की सुविधा के लिए अपीलकर्ताओं ने 27.02.2009 की अधिसूचना के तहत मौजूदा नियम 1999 में संशोधन किया और संशोधन के बाद नियम 6 के उप-नियम (4) में निम्नानुसार प्रावधान किया गया:

"(4) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, अनुसूची के क्रम संख्या 4 के सामने कॉलम संख्या 2 में उल्लिखित किसी विधिवत स्वीकृत पद पर अनियमित रूप से नियुक्त व्यक्ति, जिसने 10-04-2006 को दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के हस्तक्षेप के बिना, तथा इन संशोधन नियमों के लागू होने की तिथि को लगातार उसी रूप में कार्य कर रहा हो, की जांच निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति द्वारा की जाएगी-

(i) कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो उप सचिव के पद से नीचे का न हो;

(ii) वित्त विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो उप सचिव के पद से नीचे का न हो; तथा

(iii) संबंधित विभाग के सरकार के प्रमुख सचिव/सचिव। बशर्ते कि वे अपनी प्रारंभिक अनियमित नियुक्ति की तिथि पर नियमों के अनुसार नियुक्ति के लिए पात्र थे और स्क्रीनिंग के समय रिक्ति उपलब्ध थी। नियुक्ति प्राधिकारी उस व्यक्ति की नियुक्ति आदेश जारी करेगा, जिसे स्क्रीनिंग समिति द्वारा उपयुक्त माना जाता है और नियुक्ति ऐसे नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

9. उक्त नियम में अनुसूची के क्रमांक 4 के सामने कॉलम संख्या 2 में उल्लिखित किसी भी विधिवत स्वीकृत पद पर अनियमित रूप से नियुक्त व्यक्तियों की स्क्रीनिंग और नियमितीकरण की अनुमति दी गई है, जिन्होंने 10.04.2006 को बिना किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के हस्तक्षेप के 10

वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और संशोधन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि पर लगातार उसी रूप में काम कर रहे हैं।

10. उक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि नियमितीकरण के प्रयोजनों के लिए स्क्रीनिंग के लिए पात्र होने के लिए, एक उम्मीदवार को 10.04.2006 को सेवा में होना आवश्यक है और उसे उस दिन 10 वर्ष की सेवा पूरी करनी चाहिए।

11. यद्यपि प्रतिवादी को वर्ष 1982 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन एक सक्षम श्रम न्यायालय द्वारा पारित पुरस्कार के तहत, उसे सेवा में बहाल कर दिया गया था। उसकी बहाली श्रम न्यायालय द्वारा दी गई घोषणा पर आधारित थी कि प्रतिवादी की छंटनी अवैध थी। छंटनी/समाप्ति को अवैध घोषित करने वाले आदेश और उसके बाद बहाली से उत्पन्न होने वाला कानूनी परिणाम यह है कि व्यक्ति को सभी कानूनी उद्देश्यों के लिए सेवा में बने रहने वाला माना जाएगा, भले ही उसे पिछला वेतन दिया गया हो या नहीं। समाप्ति/छंटनी के आदेश को अवैध घोषित करने वाले न्यायिक आदेश का प्रभाव समाप्ति को शुरू से ही अमान्य कर देगा। कानूनी परिणाम यह होगा कि व्यक्ति को पूरी तरह से सेवा में बने रहने वाला माना जाएगा।

12. यदि हम उपर्युक्त सिद्धांत को लागू करते हैं, तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रतिवादी के मामले में नियमों के आवेदन के प्रयोजनों के लिए, उसे 10 अप्रैल, 2006 को भी सेवा में बने रहने वाला माना जाएगा। इसके अलावा, यह तार्किक रूप से इस निष्कर्ष पर भी ले जाएगा कि उसे 10.04.2006 को सेवा में बने रहने वाला और 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाला माना जाएगा।

13. विद्वान राज्य अधिवक्ता का यह निवेदन कि चूंकि प्रतिवादी की बहाली न्यायिक हस्तक्षेप के माध्यम से हुई थी, इसलिए उसके मामले को नियमितीकरण के लिए विचारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस अवधि

को 10 वर्ष की सेवा की गणना के प्रयोजनों के लिए शामिल नहीं किया जा सकता, स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह ऐसा मामला नहीं है, जहां नियम के लागू होने की तिथि पर प्रतिवादी किसी अंतरिम आदेश के आधार पर सेवा में बना हुआ था। वर्तमान मामला ऐसा है, जहां सेवा समाप्ति आदेश को अवैध घोषित किया गया है और प्रतिवादी को सेवा में बहाल कर दिया गया है। ऐसे मामले में, न्यायिक हस्तक्षेप पर सेवा की अवधि की गणना नहीं की जाएगी, इस अवलोकन की कठोरता लागू नहीं होगी।

14. इसलिए, वर्तमान मामले में जो कानूनी स्थिति उभर कर आती है, वह यह है कि जिस तिथि को नियमों में संशोधन किए गए थे और जिस तिथि को प्रतिवादी के मामले को नियमितीकरण के प्रयोजनों के लिए स्क्रीनिंग के लिए विचार किया गया था, उस तिथि को वह सेवा में माना जाएगा। इतना ही नहीं, उसे 10.04.2006 को 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाला माना जाएगा। परिणामस्वरूप, प्रतिवादी नियमितीकरण के प्रयोजनों के लिए निर्धारित किसी अन्य मानदंड की पूर्ति के अधीन सेवा में नियमित होने का हकदार था।

15. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निकाला गया अंतिम निष्कर्ष हमारे द्वारा दिए गए अतिरिक्त कारणों के बावजूद हमारे द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के अनुरूप है।

16. उपरोक्त के मद्देनजर, हमें इस अपील में कोई योग्यता नहीं दिखती है और इसे खारिज किया जाता है।

(मुन्नूरी लक्ष्मण), जे (मनींद्र मोहन श्रीवास्तव), सीजे

(यह अनुवाद एआई टूलः SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।